2014/00001

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत–सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम– भीनमाल

वादी / ~~प्रार्थी~~–
दिनेश वल्द चतराराम
जा० भील नि० पुनासा
तह० भीनमाल वगैरा (2)

बनाम

प्रतिवादी / ~~अप्रार्थी~~–
प्रतापाराम वल्द लखमा
भील नि० पुनासा तह० भीनमाल
वगैरा (3)

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / ~~प्रार्थना पत्र~~ / .... , नंबर– 39/2014 /20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
7-10-14	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाललाल व माधाराम द्वारा दावा बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने विरुद्ध प्रतिवादीगण / ~~अप्रार्थीगण~~ पेश किया गया हैं जो दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण / ~~अप्रार्थीगण~~ जरिए सम्मन तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 20/10/2014 को पेश हो । हि. सहायक कलेक्टर भीनमाल	सम्मन जारी क्रमांक 179 7.10.14
20/10/14	वादिगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 के वास्ते श्री रूगनाथाराम बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल हो। प्रतिवादी नं. 2 व 3 उपस्थित। आज श्रीमान AC साहब दौरे में पधारे। अतः मिसल तारीख 28/10/14 को पेश हो।	Attended court on 20/10/14 Sharma Chief Manager SBBJ, ADB Bhinmal
28/10/14	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आज श्रीमान AC साहब का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः मिसल मुलतवी होकर तारीख 10-11-14 को पेश होवे	
10/11/14	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आज श्री AC साहब नजर पालिका चुनाव 2014 के कार्य में व्यस्त होने के कारण उनके समक्ष ता. 8-12-14 को पेश हो।	

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–39/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दिनेश वल्द चतराराम 2 गीता धर्मपत्नी स्व. चतराराम जातियान भील निवासीगण पूनासा तहसील भीनमाल जिला जालोर		1 प्रतापाराम वल्द लखीया जाति भील निवासी पूनासा तहसील भीनमाल 2 व्यवस्थापक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भीनमाल(एडीबी) 3 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

दावा बाबत बंटवाडा एव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति– श्री निरंजन व्यास अधिवक्ता वादीगण
श्री रूगनाथाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी सख्यां 1

निर्णय

दिनांक 23.9.19

वादीगण द्वारा उक्त वाद बाबत बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पुनासा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 291,763,764,765,766 जुमले रकबा 6.89 हैक्टर आयी हुई है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा आया हुआ है, उक्त हिस्से अनुसार हमारे मौके पर कब्जा काश्त आया हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के है। लखीया के दो पुत्र प्रतापाराम व चतराराम है। चतराराम के हम वादीगण पिता–पति है, जो फौत हो चुके है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/2 हिस्सा है इसी अनुसार कब्जा काश्त है, रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है, अतएवं वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सामलाती भुमि दर्ज होने से उक्तानुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा माफीक इस्तदुआ किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे एवं माफीक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि वादग्रस्त आराजी सामलाती जरूर है परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा नहीं है बल्कि 3/8 हिस्सा ही है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त नही रहा है। स्वः लखीया फौत होने पर उसके पीछे उनके वारिस कायम मुकाम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तथा लखीया की पत्नि भूरी जीवित थी लखीया के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 202 के भूरी बेवा लखीया, प्रतापाराम वल्द लखीया दिनेश वल्द चतराराम मु गीता बेवा चतराराम दर्ज किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा वादीगण का 1/3 हिस्सा व भूरी बेवा लखीया का 1/3 हिस्सा आता है। भूरी ने प्रतिवादी संख्या 1 उसका पुत्र होने के नाते उक्त वादग्रस्त आराजी मेंसे 1/4 हिस्से का हकतर्क कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 560 खोला गया पटवारी ने प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा होते हुए भी 1/4 हिस्सा मानते हुए उक्त सम्पुर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा वादीगण के पक्ष में उनके वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की आराजी आती है। उसके स्थान पर 1/2 हिस्सा गलत अंकित कर दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा हकतर्क की रूह में नामान्तकरण भरते समय प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापा के हकतर्क का 1/4 हिस्सा जोडने पर उसका 7/12 हिस्सा,वादीगण का 1/3 हिस्सा व भूरी बेवा लखीया का 1/12 हिस्सा दर्ज करना चाहीए था। भूरी फौत होने पर उसका 1/12 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर हिस्सा आता है। इस आधार पर वादीगण का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 5/8 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार है, जबकि वादीगण का व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2–1/2 गलत दर्ज हुआ है। वादीगण 1/2 हिस्से का बन्टवाडा

Scanned by CamScanner

करवाने के अधिकारी नहीं है। क्योकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 3/8 हिस्सा ही बनता है। अतएवं वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापाराम के 1/2 हिस्से के स्थान पर 5/8 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावे तथा वादीगण के 1/2 हिस्से के स्थान पर 3/8 खातेदारी रखी जावे। माफिक इस्तादुआ वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजी5/8 हिस्सा में बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा माफीक जवाब दावा काउन्टर क्लेम सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आवश्यक पक्षकार है तथा उनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वादी ने वाद के साथ दस्तावेजी प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2069—72 व नक्शा किश्तवार प्रस्तुत किये है तथा मौखिक साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र दिनेश पुत्र चतराराम, गीता पत्नि चतराराम प्रस्तुत किये परन्तु साक्ष्य नहीं करवाई गई। प्रतिवादी ने दस्तावेजी प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवतं 2057—60 दस्तावेज तर्कनामा ईएक्सडी 2ए ,नकल जमाबन्दी संवत 2061—2064 तथा मौखिक साक्ष्य में प्रताताराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबंद्ध करवाये गए।

मामले में निम्न तनकीयात कायमी की गईः—

1. आया यह है कि मौजा पुनासा
2. के खसरा नम्बर 291,763,764,765,766 जुमले रकबा 6.89 हैक्टर में 1/2 खातेदारी का हिस्सा व हक जिसमें अलग अलग कब्जा काश्त है। जिसका बन्टवाडा करवाने का अधिकारी है —जिम्मेवादी—
3. आया यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 5/8 हिस्सा करवाने का प्रतिवादी अधिकारी है। —जिम्मेप्रतिवादी—
4. अनुतोष—

मामलें में दोनो पक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एंव मामलें में विरचित की गई तनकी पर निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाता हैः—

तनकी नम्बर 1— यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई वादी ने इस तनकी के समर्थन में नकल जमाबन्दी व नकल जमाबन्दी संवत 2069—72 व नक्शाकिश्तवार की प्रति प्रस्तुत की गई व मोखिक साक्ष्य में दिनेश पुत्र चतराराम व गीता पत्नि चतराराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु बयान कलमबद्व नही करवाये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रतापाराम वल्द लखीया 1/2 व दिनेश वल्द चतराराम व गीता पत्नि चतराराम 1/2 कौम भील साकीन देह खातेदार दर्ज है तथा नक्शाकिश्तवार में किसी प्रकार का विभाजन इत्यादि किया हुआ नहीं होकर एक ही चक में स्थित है।

इसके विपरित प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दस्तावेज में दस्तावेज तर्कनामा खातेदारी हक दिनांक 26.4.2004 नकल जमाबन्दी सवंत 2057—60 नकल जमाबन्दी 2061—64 की प्रति प्रस्तुत की गई व मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी प्रतापाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये एंव वादी वकील द्वारा जिरह की जाने पर ब्यान कलमबद्व करवाये गये।

वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर होना व्यक्त किया है, जबकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हकतर्क दिनांक 26.4.2004 के तहत भूरी बेवा लखीया द्वारा अपने पुत्र प्रतापाराम को 1/4 हिस्से का हकतर्क करवाया, जबकि प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार भूरी का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा ही बनता है। ऐसी स्थिति में भूरी द्वारा उक्त हकतर्क दस्तावेज करवाया गया है व भूरी के 1/3 हिस्से मे से 1/4 हिस्से का ही पाया गया है।इस प्रकार वादीगण 1/2 हिस्से का बन्टवाडा के अधिकारी नही पाये जाते है कारण कि लखीया की भूरी पत्नि थी तथा भूरी द्वारा अपने अपने हिस्से 1/3 में से 1/4 हिस्सा प्रतापाराम के हक में दिनांक 26.4.2004 को हकतर्क किया गया है इस प्रकार लखीया के देहान्त पर बतौर वारिसान के रूप में पत्नि भूरी व पुत्र प्रतापा व चतरा तथा चतरा के देहान्त होने पर गीता व दिनेश वारिसान थे। इस प्रकार मूल खातेदार भूरी,प्रतापा व चतरा ही थे तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में इनका 1/3 —1/3 हिस्सा ही बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी लखीया की मूल खातेदारी आराजी में 1/3 हिस्से का ही बन्टवाडा पाने के वादीगण अधिकारी पाये जाते है तथा भूरी के द्वारा दिनांक 26.4.2004 को हकतर्क

Scanned by CamScanner

करने से शेष बची भूमि 1/12 हिस्सा में 1/2 हिस्से के अधिकारी पाये जाते हैं, इस प्रकार कुल वादग्रस्त आराजी 6.89 हैक्टर में वादीगण का 3/8 हिस्सा बनता है व इसी आधार पर वादीगण वादग्रस्त आराजी के विभाजन पाने के अधिकारी पाये जाते है। अतएव उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में जवाब दावा एव काउण्टर क्लेम के आधार पर निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 2– यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई, प्रतिवादी ने दस्तावेजी प्रमाण में तर्कनामा खातेदारी हक दिनांक 26.4.2004 नकल जमाबन्दी सवंत 2057–60 नकल जमाबन्दी 2061–64 की प्रति प्रस्तुत की गई व मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी प्रतापाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये एंव वादी वकील से जिरह पर बयान कलमबद्व करवाये गये। प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार लखीया वल्द हरजी कौम भील मूल खातेदार था तथा लखीय के दैहान्त होने पर लखीया की पत्नि भूरी व पुत्र प्रतापाराम व चतराराम थे, चतराराम का पिता लखीया के जीते जी फौत हो जाने से उसके कायम मुकाम वादीगण तथा नामान्तकरण संख्या 202 के जरिये लखीया के बजाय प्रतापाराम भूरी बेवा लखीया व दिनेश पुत्र चतराराम व गीता बेवा चतराराम के नाम खोला गया, इस प्रकार उक्त सम्पुर्ण भूमि में प्रतापा का 1/3 हिस्सा भूरी का 1/3 हिस्सा व चतराराम के कायम मुकाम वादीगण का 1/3 हिस्सा बनता है। भूरी ने अपने 1/3 हिस्से में से जरिय हकतर्क दस्तावेज दिनांक 26.4.2004 से अपना सम्पुर्ण आराजी के 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दस्तावेज पंजीबद्व करवाया गया तथा शेष 1/12 हिस्सा उसकी खातेदारी में रहा परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त हकतर्क की रूह में नामान्तकरण संख्या 560 भरते समय प्रतिवादी संख्या 1/2 हिस्सा व चतराराम के कायम मुकाम वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के अलावा माता भूरी द्वारा अपनी सम्पुर्ण भूमि के हिस्से में से 1/4 हिस्सा का हकतर्क करने पर वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी का 7/12 हिस्सा बनता है तथा 1/3 हिस्सा वादीगण तथा माता भूरी के 1/3 हिस्से में से 1/12 हिस्सा दर्ज होना था, भूरी फौत हो चुकी है तथा उसके 1/12 हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा वादीगण का बनता है, जिससे उक्त सम्पुर्ण भूमि में प्रतिवादी प्रतापाराम का 5/8 हिस्सा तथा वादीगण का 3/8 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादग्रस्त कुल आराजी 6.89 हैक्टर में वादीगण का 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 5/8 हिस्सा ही बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निर्णीत की जाती है।

अनुतोष – चुकिं जमाबन्दी संवत 2069–72 में प्रतापाराम वल्द लखीया 1/2 दिनेश वल्द चतराराम , गीता पत्नि चतराराम 1/2 कौम भील दर्ज है। लखीया का स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान का नामान्तकरण संख्या 202 के जरिये लखीया के बजाय भूरी बेवा लखीया प्रतापाराम वल्द लखीया दिनेश वल्द चतराराम गीता बेवा चतराराम के नाम से खोला गया, इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी प्रतापा का 1/3 हिस्सा, भूरी का 1/3 हिस्सा व चतराराम के कायम मुकाम वादीगण का 1/3 हिस्सा बनता है। भूरी द्वारा अपने 1/3 हिस्से में से हकतर्क सम्पुर्ण आराजी के 1/4 हिस्से का प्रतिवादी प्रतापाराम के हक मे दिनांक 26.4.2004 को किया गया तथा शेष 1/12 हिस्सा उसकी खातेदारी में रहा परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त हकतर्क की रूह में नामान्तरण संख्या 560 को भरते समय प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा चतराराम के वारिसान वादीगण का भी 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो गलत दर्ज हुआ जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के अलावा उसकी माता भूरी द्वारा 1/4 हिस्से का हकतर्क करने पर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 7/12 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा वादीगण तथा भूरी के 1/3 हिस्से में से शेष रही 1/12 हिस्सा दर्ज होना था। भूरी फौत हो चुकी है उसके 1/12 हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी प्रतापाराम व 1/2 हिस्सा वादीगण को आता है। जिससे उक्त सम्पुर्ण भूमि में प्रतिवादी प्रतापाराम का 5/8 हिस्सा एवं वादीगण का 3/8 हिस्सा बनता है। पटवारी हल्का की भूल से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज होने से वादीगण का हक नहीं बनता है तथा 1/2 हिस्से का वादीगण बन्टवाडा प्राप्त करने के हकदार नहीं है अतएंव उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी प्रतापाराम का 5/8 हिस्सा की खातेदारी पाने के अधिकारी है तथा वादीगण

Scanned by CamScanner

(4)

1/2 हिस्से की जगह 3/8 हिस्से के खोतदारी सहित विभाजन करने के हकदार है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में उक्तानुसार प्रतिवादी प्रतापाराम का 5/8 हिस्सा व वादीगण के 3/8 हिस्से की खातेदारी घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री विभाजन की सादिर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होने से प्राथमिक डिक्री विभाजन की सादिर की जाती है। साथ ही विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तिम डिक्री में निर्णय पारित किया जायेगा।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए सरहद मौजा पुनासा के वादग्रस्त आराजी खंसरा नम्बर 291,763,764,765 व 766 जुमले रकबा 6.89 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के 5/8 हिस्से एंव वादीगण के 3/8 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है एवं प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का उक्तानुसार विभाजन रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार भीनमाल विभाजन का प्रस्ताव विभिन्न रंगो मे लगान आदि निश्चित करते हुए प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीनमाल को पालनार्थ भेजी जावे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.9.15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner